रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– के0 पी0 सिटी –67/2024–26

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में
सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निषपक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

अधिकार किसको जानने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.dhr.gov.in लॉगिन कर क्लिक करें अल्टरनेटिव मेडिसिन तथा गज़ट पढ़ने हेतु log in करें www.behm.org.in

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 'एस' जूही, कानपुर–208014
सम्पर्क सूत्र :– 9450153215 , 9415074806 , 9415486103

वर्ष – 46 ● अंक – 14 ● कानपुर 16 से 31 जुलाई 2024 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य ₹ 100

स्थानीय पंजीयन चालू होने से उत्साह

प्रदेश के इलेक्ट्रो होम्योपैथों में नई उमंग

केन्द्रीय पंजीयन की वकालत करने वाली संस्थायें

केन्द्रीय पंजीयन के पक्ष में भ्रामक तथ्य देती हैं जो यथार्थ के धरातल से बिल्कुल अलग होती हैं

इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक अधिकार प्राप्त चिकित्सा पद्धति है अधिकार पूर्वक इस चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा व्यवसाय किया जा सकता है, बशर्ते ! जो चिकित्सक जिस राज्य में चिकित्सा व्यवसाय कर रहा हो वह उस राज्य में प्रचलित कानूनों का पालन कर रहा हो, जो लोग यह भ्रम फैलाते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी मान्यता प्राप्त नहीं है इसलिए इस पर अभी कोई कानून प्रभावी नहीं है यह नितान्त भ्रामक व असत्य है क्योंकि चिकित्सा राज्य का विषय होता है और जो चीज जहाँ से नियन्त्रित की जाती है उसे वहाँ से नियन्त्रित होने के लिए प्रयास करने चाहिये यह सत्य है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा शिक्षा व अनुसंधान के लिए स्पष्ट आदेश कर दिये हैं लेकिन यह भी जानना चाहिये कि केन्द्र सरकार आदेश करती है और राज्य सरकार आवश्यकतानुसार जनहित में उनका अनुपालन करती है।

आपको बताते चलें कि चिकित्सा व्यवस्था को गुणवत्तायुक्त बनाने के लिए शासनादेश संख्या 1297/71–आयुष–1–2016– डबलू–283/2014 दिनांक 03 अगस्त, 2016 के अनुसार यह कार्य हर चिकित्सक के लिये आवश्यक है, सरल भाषा में यूँ समझें कि एलोपैथिक चिकित्सक उत्तर प्रदेश में यदि चिकित्सा व्यवसाय करना चाहता है तो उसे अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में जाकर अपनी योग्यता, अर्हता एवं पंजीकरण सम्बन्धित जानकारी सम्बन्धित अधिकारी को देनी है, आयुर्वेदिक एवं यूनानी के चिकित्सक क्षेत्रीय आयुर्वेदिक/यूनानी कार्यालय में अपना पंजीयन कराते हैं, होम्योपैथी के चिकित्सकों को जिला होम्योपैथिक अधिकारी (डी0एच0ओ0) कार्यालय में जिला पंजीयन का प्राविधान है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति से चिकित्सा व्यवसाय करने वाले चिकित्सकों के लिये प्रदेश सरकार द्वारा 04 जनवरी, 2012 को शासनादेश जारी कर प्रदेश के इलेक्ट्रो होम्योपैथी के ऐसे चिकित्सक जो बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 से शिक्षित, प्रशिक्षित व पंजीकृत हों को चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु शासकीय अधिकारानुसार इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों को अपना आवेदन जिला प्रभारी के कार्यालय में आवेदन जमा करना पड़ता है, बिना जिला पंजीयन के प्रैक्टिस करना अवैधानिक और अनाधिकारिक है, यह पंजीयन इसलिये भी आवश्यक है क्योंकि इस पंजीयन का आवेदन इस बात को प्रमाणित करता है कि पंजीयन के लिये आवेदन करने वाला चिकित्सक चिकित्सा व्यवसाय करने के लिये अधिकार प्राप्त है, जो चिकित्सक बिना आवेदन किये प्रैक्टिस कर रहे हैं, वह लाख पढ़े लिखे हों और अपनी काउन्सिल में विधिवत पंजीकृत भी हों फिर भी झोलाछाप की श्रेणी में आ जाते हैं, इस प्रकार अब प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी अधिकार प्राप्त चिकित्सा पद्धति है इस पद्धति के चिकित्सकों के ऊपर वही नियम प्रभावी हैं जो अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों के लिये हैं, इसलिये जो चिकित्सक जिला पंजीयन से भाग रहे हैं या ऐसा समझ रहे हैं कि वे बिना पंजीयन के ही अधिकार पूर्वक प्रैक्टिस करते रहेंगे तो यह उनका बहुत बड़ा भ्रम है।

आज की तिथि में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी से ऐसे कार्य किये जायें जिसका सीधा प्रभाव जनता पर पड़े उदाहरण स्वरूप रोग से पीड़ित मनुष्य की एक मात्र इच्छा यही होती है कि शीघ्र से शीघ्र वह जिस चिकित्सक से चिकित्सा ले रहा है वह उसे रोगमुक्त करे, पैथी के बारे में तभी रोगी की अच्छी राय बनती है।

एक बात तो बहुत सामान्य है वह यह है कि रोगी अपने चिकित्सक के पास पूरे भरोसे के साथ जाता है और वह विश्वास रखता है कि उसका चिकित्सक उसे शीघ्र रोगमुक्त करके आराम दिलायेगा, जब रोगी को आराम मिल जाता है तब वह जहाँ कहीं भी जाता है अपने चिकित्सक और उसके द्वारा प्रयोग में लायी जाने वाली चिकित्सा पद्धति की प्रशंसा करते नहीं थकता है, यह सब बातें सुनने और कहने में तो बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन मूल रूप में उन्हें पाने के लिए जो करना पड़ता है वह शायद न तो हमारे द्वारा किया जाता है और न संस्थाओं द्वारा, आज हर व्यक्ति प्रगति की अन्धी दौड़ में दौड़ा जा रहा है सफलता मिले ! कैसे मिले ?इसके लिए कोई व्यवस्था निर्मित नहीं है और जब बिना व्यवस्थाओं के सफलता प्राप्त का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है तब ऐसे लक्ष्यों की प्राप्ति संदिग्ध रहती है।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी निर्विवाद रूप से अधिकार प्राप्त है परन्तु अपने अधिकारों को हम कैसे उपभोग करें ?यह जानते हुए भी हम अनजान बने रहते हैं आज महाराष्ट्र और गुजरात राज्य से लगातार सूचनायें प्राप्त हो रही हैं कि इन दोनों राज्यों में इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रमाण पत्र धारकों की क्लिनिकों पर छापे पड़ रहे हैं और उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा रही है।

निश्चित रूप से जब इस तरह के समाचार हमारे पास आते हैं तो कष्ट होता है लेकिन जब हम उनके मूल कारणों पर जाते हैं और जो तथ्य सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर वह तथ्य चिन्तनीय होते हैं हम पिछले कई वर्षों से पूरे देश को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तविकता को समझें और उसी के अनुसार आचरण करें

- स्थानीय पंजीयन को दें प्रमुखता
- पूरे मनोबल के साथ करें चिकित्सा
- किसी प्रकार के बहकावे में न आयें
- एक बार अपने मन की भी सुनें
- अपने आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथ कहें
- वैधानिकता को दें प्रमुख स्थान

शेष पेज 2 पर

भ्रम फैलाना बन्द करें

इलेक्ट्रो होम्योपैथी आज सर्वाधिक भ्रमपूर्ण स्थिति से गुज़र रही है जिसके कारण इलेक्ट्रो होम्योपैथी का वह विकास नहीं हो पा रहा है जो होना चाहिये, देश और राज्य में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सन्दर्भ में आदेश बारह–13 वर्ष से ज्यादा का समय पूरा कर चुके हैं लेकिन इतनी लम्बी अवधि के बावजूद भी अभी तक हमारे चिकित्सक के मध्य जो चेतना जागृत होना चाहिए उसका सर्वथा अभाव है और इसी कारण चिकित्सक तो चिकित्सक संचालकों के मध्य भी आत्म विश्वास का भाव पैदा नहीं हो पा रहा है, जब व्यक्ति में आत्म विश्वास की कमी होती है तो वह पूरी क्षमता के साथ कार्य नहीं कर पाता है यहाँ पर यह बताना उचित होगा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में किसी एक तरह का भ्रम नहीं है ! लोगों में तरह–तरह के भ्रम हैं और यह भ्रम चन्द लोगों के द्वारा फैलाया जा रहा है अब यह भ्रम इस कदर फैल चुका है कि लोग–बाग उबरने का प्रयास भी करते हैं तो वह अपने आप को मकड़जाल में फंसा हुआ पाते हैं, कुछ भ्रमों के बारे में हम आपको कई बार जानकारियां दे चुके हैं और हम लगातार यह प्रयास भी करते रहते हैं कि हमारे चिकित्सकों का भ्रम के चलते हुए किसी तरह का कोई नुकसान न होने पाये, सबसे बड़ा भ्रम वर्तमान में चिकित्सकों के मध्य मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय में पंजीयन को लेकर है जबकि उत्तर प्रदेश में नये नियमों के अनुसार शासनादेश संख्या 1297/71–आयुष–1–2016– डब्लू– 283/2014 दिनांक 03 अगस्त, 2016 के अनुसार यह कार्य हर चिकित्सक के लिये आवश्यक है, या यूँ कहे कि अब केवल एलोपैथिक चिकित्सक अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में अपना पंजीयन कराते हैं, आयुर्वेदिक एवं यूनानी के चिकित्सक क्षेत्रीय आयुर्वेदिक/ यूनानी कार्यालय में होम्योपैथी के चिकित्सकों को ज़िला होम्योपैथिक अधिकारी (D.H.O.) कार्यालय में एवं इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति से चिकित्सा व्यवसाय करने वाले चिकित्सकों के लिये शासकीय अधिकारानुसार इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों को अपना आवेदन ज़िला प्रभारी के कार्यालय में आवेदन करना पड़ता है, बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 द्वारा चिकित्सकों को जागरूक करने के लिए 5 अप्रैल, 2015 से लगातार प्रदेश स्तर पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक अधिकारिता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, इस कार्यक्रम में काफी संख्या में चिकित्सक भी जुड़े, मनोयोग से बात भी सुनी, लेकिन जैसे ही वे अकेले पड़े उनकी मनास्थिति बदल गयी और जागरूकता को कई कदम पीछे छोड़ गये जिससे कि जो सफलतायें मिलनी चाहिये वह नहीं मिल पायी हैं, यदि उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी से चिकित्सा व्यवसाय करना है तो अपनी चिकित्सा व्यवसाय से सम्बन्धित सभी सूचना अपने जनपद के ज़िला प्राभारी कार्यालय को देनी आवश्यक है पंजीकरण संख्या मिलना इतना आवश्यक नहीं है जितना कि आवेदन प्रेषित करना ,जो लोग यह भ्रम पाले हैं कि C.M.O. कार्यालय में पंजीयन सिर्फ मान्यता प्राप्त पद्धतियों का होना है उन्हें अपनी मानसिकता में सुधार लाना चाहिये और चिकित्सा के क्षेत्र में हुये नये–नये आदेशों से अपडेट रहना आवश्यक है, तभी इस भागम–भाग जिन्दगी के साथ कंधे से कंधा मिला कर चल सकते हैं।

अब आपकी मन–मर्ज़ी नहीं चलेगी अब तो वही होगा जो उत्तर प्रदेश की सरकार चाहेगी आपको यह समझना अवश्यक है कि पंजीयन का मान्यता से कोई सम्बन्ध नहीं है यह पंजीयन सिर्फ अधिकृत व अनाधिकृत के मध्य में भेद पैदा करता है यदि हम पंजीयन के लिए आवेदन नहीं करते हैं तो स्वंय को अनाधिकृत की श्रेणी में डाल देते हैं।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आज स्थिति यह है कि क्लीनिक खोलने से पहले अपना ज़िला पंजीयन का आवेदन प्रभारी अधिकारी कार्यालय में दें, जिन्होंने पंजीयन के लिए अभी भी आवेदन नहीं किया है वह चिकित्सक सारे भ्रमों से दूर रहकर सिर्फ अपने हित के लिए अपना आवेदन जनपद के ज़िला प्रभारी अधिकारी के कार्यालय में प्रेषित कर दें क्योंकि प्रैक्टिस आप करते हैं भ्रम फैलाने वाले नहीं, जो भ्रम फैला रहे हैं वह फैलाते रहेंगे यदि आप भ्रम में फँसे तो नुकसान भी आप ही उठायेंगे।

प्रैक्टिस के सम्बंध में हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय ने भी स्पष्ट निर्देश दिये हैं, इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा जाँच का सघन अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है यदि बचना चाहते हों तो जनपदीय पंजीयन अपने क्लीनिक में अवश्य रखें।

स्थानीय पंजीयन चालू होने से ....प्रथम पेज से आगे

सब लोगों को यह पता होना चाहिये कि चिकित्सा करने का अधिकार राज्य सरकार के अधीन होता है अर्थात जो चिकित्सक जिस राज्य में चिकित्सा व्यवसाय कर रहा है उसे उस राज्य में प्रचलित कानूनों का पालन करना ही होता है।

आज यह मूल समस्या है कि भारत वर्ष के सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में स्थानीय पंजीयन किसी न किसी रूप में अवश्य लागू है, उसका स्वरूप चाहे जो हो, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के साथ विडम्बना यह है कि आज भी राज्य स्तरीय परिषदों की तुलना में केन्द्रीय परिषदों का दबदबा ज़्यादा है जब कि राज्य में चिकित्सा व्यवसाय कर रहे अपने राज्य में विधि सम्मत ढंग से स्थापित राज्य स्तरीय परिषद में पंजीयन होना चाहिय, यह सबसे महत्वपूर्ण कारण है जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों को लगातार परेशान कर रहा है आज भी देश में ऐसी कुछ संस्थायें हैं जो राष्ट्रीय पंजीकरण के आधार पर ही पूरे देश में प्रैक्टिस करने का अधिकार प्रदान करती हैं और अपने इस दावे के पक्ष में यह तर्क देती हैं कि जब तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता नहीं मिलती है तब तक राज्य स्तरीय पंजीयन की कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि सत्य यह है कि जो संस्थायें केन्द्रीय पंजीयन की वकालत करती हैं और केन्द्रीय पंजीयन के पक्ष में तथ्य देती हैं वे यथार्थ के धरातल से बिल्कुल अलग होती हैं, जो संस्थायें केन्द्रीय अधिकार की बात करती हैं उन्हें चाहिये कि वे अपने विचारों को वैधानिकता के तराजू पर रखकर तौलें फिर यह तय करें राज्य स्तरीय पंजीयन की आवश्यकता है कि नहीं ?

मान्यता और पंजीयन दोनों अलग अलग विषय हैं मान्यता प्राप्त चिकित्सक यदि चिकित्सा व्यवसाय करते हैं तो उन्हें भी उस राज्य में पंजीयन कराना होता है जिस राज्य में वह प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो फिर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सक अपने लिए कैसे अलग रास्ता बताते हैं यदि हम चिकित्सा व्यवसाय हेतु राज्य में प्रचलित कानूनों का पालन करें तो हमें कार्य करने में किसी तरह की कोई असुविधा न होगी, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में जिन चिकित्सकों के साथ घटनायें घट रही हैं निश्चित रूप से वे वह सबकुछ नहीं कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिये, पहली बात तो अधिकांश चिकित्सक अपनी चिकित्सा पद्धति के प्रति निष्ठावान ही नहीं हैं दूसरी बात यह है कि चिकित्सक कभी भी अपने आप को इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक के रूप में घोषित ही नहीं करते हैं, हमारे चिकित्कों को पता नहीं क्यों अपने स्वरूप से स्नेह नहीं है या तो उनमें हीन भावना है या फिर उनका दृष्टिकोंण संकुचित हो चुका है।

यदि हम अपने साइनबोर्ड पर यह स्पष्ट उल्लेख करें कि यह क्लीनिक इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की है और इस क्लीनिक को संचालित करने वाला चिकित्सक इलेक्ट्रो होम्योपैथ है तो यकीन मानिये आधी समस्या का समाधान तो प्रारम्भ में ही हो जायेगा, अगली समस्या आती है राज्य स्तारीय पंजीयन के साथ साथ स्थानीय पंजीयन की, यदि हम इनकी प्रपूर्ति भी कर देते हैं तो हमें किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, जब तक हम अपने आप को इस रूप में नहीं ढालते हैं तो हमारी परेशानी आसानी से दूर होती नहीं दिखती, सारी प्रपूर्ति के बावजूद भी यदि किसी अधिकारी द्वारा किसी इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है तो इसका स्थानीय स्तर पर पुरज़ोर विरोध होना चाहिये और सामूहिक रूप से अपनी अधिकारिता सिद्ध करनी चाहिये, हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि हर इलेक्ट्रो होम्योपैथ पूरे अधिकार के साथ प्रैक्टिस करे लेकिन विधि सम्मत ढंग से।

परेशानी आज नहीं कल अवश्य दूर होगी लेकिन आप द्वारा ऐसा कोई कार्य न हो जिससे कि परेशानियां स्वयं निमन्त्रित हो जायें, हमारी अपेक्षा है कि हर चिकित्सक सकारात्मक विचारों के साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मूल तथ्यों पर विचार करेगा और ऐसी रणनीति बनायेगा जिससे कि यही कभी पीड़ित न हो ।

डॉक्टर्स डे के अवसर पर

लखनऊ– राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे के अवसर पर बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के चेयरमैन डॉ0 एम0 एच0 इदरीसी ने लखनऊ स्थित मुख्यालय से सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को बधाई देते हुये कहा कि आज की प्रचलित मंहगीं चिकित्सा पद्धति की तुलना में इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक सरल एवं सुलभ चिकित्सा पद्धति है इसके चिकित्सक भी उसी प्रकार हर रोगों का निदान कर सकते हैं जिस प्रकार अन्य पद्धतियों के चिकित्सक करते हैं, आवश्यकता इस बात की है कि आप अपनी चिकित्सा पद्धति में ईमानदारी बरतें।

आपको एवं आपकी चिकित्सा पद्धति को भारत सरकार एवं उ0प्र0 सरकार ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी से चिकित्सा करने के लिए अपनी स्वीकृति भी प्रदान की है, अब आपकी बारी है कि आपकी कितनी ईमानदारी के साथ अपनी पद्धति के साथ न्याय करते हुए मरीजों की सेवा करते हैं।

डा0 इदरीसी ने मुख्यालय से उपस्थित सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों से आवाहन किया कि इस पद्धति में प्राकृतिक रूप से वे सारे गुण समाहित हैं जिससे आप निर्भीक होकर जटिल से जटिल रोगों का इलाज कर मानवता की सेवा करेंगें हम आशा करते हैं कि हमारे सभी चिकित्सकगण अपनी पद्धति में चिकित्सा करते हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथी को एक नया आयाम देंगें।

राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे के अवसर पर मुख्यालय में उपस्थित इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को सम्बोधित करते हुये बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के चेयरमैन डा0 इदरीसी

बोर्ड ने अपने चिकित्सकों के लिये जारी की एडवाइज़री

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0

8–लालबाग, कमला शर्मा मार्ग, लखनऊ–226001

प्रशा0 कार्या0 : 127/204 "एस" जूही, कानपुर–208014

Email: registrarbehmup@gmail.com

पत्रांक – 122/बी0ई0एच0एम0/2024–25 दिनांक 04–07–2024

एडवाइज़री

समस्त पंजीकृत एवं अधिकृत इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक केवल अपनी पद्धति से ही चिकित्सा करें तथा निम्न कार्यों से सदैव दूर रहें:–

1 चिकित्सा विविध प्रकरण (चिकित्सा मेडिको लीगल)

2 इन्ट्रा वेनस इन्जेक्शन्स का प्रयोग कदापि नहीं करें

प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन आयुष अनुभाग–1 के पत्र दिनांक 01 फरवरी, 2024 के अनुसार उ0प्र0 शासन द्वारा जारी अधिसूचना सं0–3223/71–आयुष–1–2015–वि0प0–08/2011,दिनांक 09–10–2015 को आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति में पंजीकृत चिकित्सकों के लिये निम्न प्रतिबन्ध लगाये हैं .....

1 चिकित्सा विविध प्रकरण (चिकित्सा मेडिको लीगल)

2 शवच्छेदन (पोस्टमार्टम)

3 आई0वी0 इन्जेक्शन

ज्ञातव्य हो कि निदेशक, होम्योपैथी, उ0प्र0 लखनऊ ने पत्रांक संख्या नि0हो0/25/84/7513 लखनऊ दिनांक 26 नवम्बर, 2019 द्वारा समस्त प्राचार्य, राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, उत्तर प्रदेश और समस्त ज़िला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों को सख्त निर्देश दिये हैं कि वे अपनी OPD में सिंगल मेडिसिन प्रेस्क्राइब करें।

(अतीक अहमद)
कृते रजिस्ट्रार
9450153215

स्वर्ण जयंती कार्यक्रम पर चर्चा

लखनऊ– बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने अपने **स्वर्ण जयंती कार्यक्रम पर चर्चा** विषय पर एक आयोजन होटल एलोरा हजरतगंज लखनऊ में स्थानीय चिकित्सकों की एक बैठक आयोजित की, इस अवसर पर बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के चिकित्सकों द्वारा बोर्ड के चेयरमैन EH डॉ0 एम0 एच0 इदरीसी, बोर्ड के वित्त नियंत्रक श्री मो0 ज़फ़र इदरीसी एवं ISHU- लखनऊ के सचिव मुहम्मद ख़ालिद को शॉल एवं माला पहनाकर अभिनन्दन किया गया।

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 से सम्बद्ध चिकित्सकों ने चर्चा में कहा कि बोर्ड के लखनऊ कार्यालय में न्यूनतम एक मासिक बैठक हो जो स्वर्ण जयंती आयोजन तक चले, प्रत्येक प्रैक्टिशनर अपने क्लीनिक में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाये, स्मारिका के लिए लेख प्रेस एवं मीडिया में लगातार कवरेज दे, स्वर्ण जयंती से एक माह पूर्व तक ज़िले में प्रत्येक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक से मिलकर उसका सुझाव भी लें।

इस अवसर पर EH डॉ0 पी0 आर0 धूसिया– लखनऊ, EH डॉ0 तुफ़ैलुर रहमान– अयोध्या, डॉ0 आशुतोष कपूर– लखनऊ (प्राचार्य अवध इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इन्स्टीट्यूट), EH डॉ0 मिहिर स्वरूप, EH डॉ0 देवेन्द दीक्षित, EH डॉ0 रूबी राज सिन्हा, EH डॉ0 प्रशान्त सिन्हा, EH डॉ0 आमिर खान, EH डॉ0 अभिषेक शुक्ला, EH डॉ0 उमेश भारद्वाज, EH डॉ0 मनोज कुमार (सभी लखनऊ) EH डॉ0 कादरी–बाराबंकी, मोहम्मद नसीम इदरीसी (लखनऊ कार्यालय स्टाफ) एवं श्री शुभम कुमार (कानपुर कार्यालय स्टाफ) आदि ने भाग लिया।

बोर्ड के वित्त नियंत्रक श्री ज़फ़र इदरीसी एवं ज़िला प्रभारी EH डा0 सैयद तुफ़ैलुर्रहमान अयोध्या संयुक्त रुप से बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के चेयरमैन EH डा0 एम0 एच0 इदरीसी को बुके भेंट करते हुये साथ में लखनऊ के वरिष्ठ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक डा0 पी0 आर0 धूसिया

निःशुल्क चिकित्सा शिविर

अमौली–फतेहपुर में EH डॉ0 देवानन्द द्वारा एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया इस अवसर पर डॉ0 देवानन्द ने बताया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से निरन्तर निःशुल्क कैम्प का उनके द्वारा गत वर्ष से प्रारम्भ किया गया था जो आज भी जारी है, विदित हो कि EH डॉ0 देवानन्द द्वारा फतेहपुर के लगभग सभी ब्लाकों में निःशुल्क चिकित्सा शिविर निरन्तर लगाये जा रहे हैं, इससे एक लाभ यह हुआ कि आस–पास की जनता को लाभ तो मिल ही रहा है साथ–साथ जन जागरूकता भी बढ़ रही है, इससे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों का मनोबल भी बढ़ रहा है एवं उन्हें नयी नयी बीमारियों का इलाज भी करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, यह शिविर अपरांह 2 से सांय 5 बजे तक चला, शिविर में दवाओं के अतिरिक्त अनेक लोग परामर्श भी लेते दिखे।

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के चिकित्सकों द्वारा बोर्ड के चेयरमैन EH डॉ0 एम0 एच0 इदरीसी, बोर्ड के वित्त नियंत्रक श्री मो0 ज़फ़र इदरीसी एवं ISHU- लखनऊ के सचिव मुहम्मद ख़ालिद को शॉल एवं माला पहनाकर अभिनन्दन किया गया।

बी0 ई0 एच0 एम0 के लिए डा0 अतीक अहमद द्वारा गजट प्रेस 126 टी/22 'ए' रामलाल का तालाब, जूही, कानपुर–208014 से मुद्रित एवं मिथलेश कुमार मिश्रा द्वारा कम्प्यूटराइज्ड करा कर 9/1 पीली कालोनी, जूही, कानपुर–208014 से प्रकाशित किया।